Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 32-2020] CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 11, 2020 (SRAVANA 20, 1942 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

विद्युत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 11 मई, 2020

संख्या 84/REG-253/Vol-IV.— विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 79 (सी) में निहित प्रावधानों की अनुपालना में दिनांक 15.03.1984 से 13.08.1998 तक यथा लागू तथा हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम, 1997 (1998 की हरियाणा अधिनियम संख्या 10) की धारा 56 (vi) में निहित प्रावधानों के साथ पठित, हरियाणा के राज्यपाल कार्यालय आदेश की तिथि से तत्कालीन हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के कार्यालय आदेश संख्या 10/आरईजी–20/एचएसईबी दिनांक 20.03.1984 के तहत जारी बोर्ड के कर्मचारियों के आचरण को नियन्त्रित करने वाले निम्नलिखित विनियम अधिसूचित करते हैं:–

आचरण विनियम

विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा–79 के खण्ड (सी) द्वारा प्रदत शक्तियों तथा इस संबंध में अन्य सभी सक्षम शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, बोर्ड के कर्मचारियों के आचरण को नियन्त्रित करने वाले निम्नलिखित विनियम बनाता है:–

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा लागू होना

(1) ये विनियम ''हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1984'', कहे जा सकते हैं।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

(3) विनियम–2 में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, ये विनियम बोर्ड के सभी कर्मचारियों को, चाहे वे ड्यूटी पर हों, या निलम्बन के अन्तर्गत, अवकाश पर हों या चाहे इतर सेवा में हों, लागू होंगे।

2. ये विनियम उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे जिनकी सेवा भूतपूर्व पंजाब राज्य बिजली बोर्ड को अन्तरित कर दी गई थी। वे कर्मचारी समय–समय पर यथा संशोधित पंजाब सरकार कर्मचारी आचरण नियम, 1966, द्वारा तब तक नियन्त्रित किये जाएंगे जब तक कि वे कर्मचारी इन विनियमों के अन्तर्गत आने की स्वेच्छा प्रकट नहीं करते।

परिभाषाएं:

3. जब तक इन विनियमों में कोई बात विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो:–

(1) ''बोर्ड से अभिप्राय, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, जो विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948, की धारा 5 के अन्तर्गत गठित किया गया तथा जिसमें इसके उत्तराधिकारी तथा समनुदेशिती शामिल है।

(2) ''बोर्ड के कर्मचारी'' से अभिप्राय है बोर्ड की किसी सेवा का सदस्य तथा उसमें बोर्ड की सेवा में संविदा आधार पर लिया गया कोई व्यक्ति शामिल है।

व्याख्याः– बोर्ड का कर्मचारी, जिसकी सेवाएं बोर्ड द्वारा सरकारी कंपनी, निगम, संगठन या स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी गई हों, इन विनियमों के प्रयोजन के लिए इस बात के होते हुए भी कि उसका वेतन बोर्ड से भिन्न स्रोतों से लिया जा रहा है। बोर्ड के अधीन सेवारत बोर्ड कर्मचारी माना जाएगा।

(3) ''बोर्ड कर्मचारी के संबंध में ''परिवार के सदस्यों'' में निम्नलिखित शामिल हैं:–

(ए) ''बोर्ड कर्मचारी की पत्नी या पति, जैसी भी स्थिति हो, चाहे वह बोर्ड के कर्मचारी के साथ रह रहा/रही हो या नहीं, किन्तु इसमें वह पत्नी या पति, जैसी की स्थिति हो, सम्मिलित नहीं है जो सक्षम न्यायालय की डिग्री (आज्ञप्ति) या आदेश द्वारा बोर्ड कर्मचारी से अलग कर दिया गया हो।

(बी) बोर्ड कर्मचारी का पुत्र या पुत्री या सौतेला पुत्र या सौतेली पुत्री तथा जो पुर्णतया कर्मचारी पर आश्रित है, किन्तु इसमें ऐसा बच्चा या सौतेला बच्चा शामिल नहीं है जो बोर्ड कर्मचारी पर किसी भी प्रकार से आश्रित नहीं है या जिसकी अभिरक्षा से किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन बोर्ड कर्मचारी को वंचित कर दिया गया है।

(सी) बोर्ड कर्मचारी या बोर्ड के कर्मचारी की पत्नी या पति के साथ चाहे रक्त या विवाह द्वारा, संबंधित कोई अन्य व्यक्ति तथा बोर्ड कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित हो।

(4) ''विहित प्राधिकारी'' से अभिप्राय है इन विनियमों के विनियम–II की व्याख्या–I में यथा परिभाषित प्राधिकारी।

टिप्पणी 1:

(i) इन विनियमों में पुलिंग वाले किसी पद मे स्त्रीलिंग भी शामिल होगा।

(ii) एकवचन के अभिप्राय वाले शब्दों में बहुवचन तथा इस प्रकार इसके विपरित भी बहुवचन के अभिप्राय वाले शब्दों में एकवचन शामिल होगा।

4. सामान्यः

(1) प्रत्येक बोर्ड कर्मचारी हर समयः–

(i) अपने कर्तव्यों तथा सुपुर्द कार्यों का निवहन ईमानदारी, सत्यनिष्ठा तथा तत्परता से करेगा।

(ii) पूरी ईमानदारी तथा कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा रखेगा।

(iii) अपने पदीय व्यवहार में उचित शिष्टता का पालन करेगा तथा जनता, सहकर्मियों तथा अधीनस्थों के साथ विनयपर्वूक व्यवहार करेगा।

(iv) ऐसी कोई भी बात नहीं करेगा जो लोक सेवक/बोर्ड कर्मचारी के लिए अशोभनीय हो,

(v) काम पर ठीक समय पर होना। कोई कर्मचारी जो अपने आपको काम के लिए उपस्थिति करने के बाद तथा अपने निर्धारित कार्य समय काम के अपने स्थान विशेष से बिना अनुमति के अनुपस्थित हो, ड्यूटी पर अनुपस्थित माना जाएगा तथा ऐसी अनुशासनिक कार्रवाई के अधीन होगा, जो सक्षम प्राधिकारी ठीक समझे।

(2) पर्यवेक्षक पद का धारक, बोर्ड का प्रत्येक कर्मचारी अपने नियन्त्रण एवं प्राधिकारी के अधीन उस समय सभी बोर्ड कर्मचारियों द्वारा ईमानदारी और कर्त्तव्य–निष्ठा सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठाएगा।

बोर्ड के संरक्षण का उपभोग करने वाले निजी उपक्रम में कार्यरत बोर्ड कर्मचारियों के निकट संबंधियों को रोजगार देना।

5. (1) बोर्ड का कोई भी कर्मचारी किसी निजी उपक्रम में अपने परिवार के किसी सदस्य को रोजगार दिलाने के लिए अपनी स्थिति या प्रभाव को प्रयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं करेगा।

(2) (i) कोई भी श्रेणी–I अधिकारी बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के बिना अपने पुत्र, पुत्री या अन्य आश्रित को ऐसे व्यक्तिगत उपक्रम में, जिसके साथ उसके पदीय संबंध हो या बोर्ड से पदीय संबंधों वाले अन्य किसी उपक्रम में रोजगार स्वीकार की अनुज्ञा नहीं देगा।

परन्तु जहां रोजगार की स्वीकृति बोर्ड की पूर्व अनुज्ञा की प्रतीक्षा नहीं कर सकती अथवा उसे अन्यथा आवश्यक माना जाए तो मामले की रिपोर्ट बोर्ड को भेजी जाएगी और बोर्ड की अनुज्ञा के अधीन रहते हुए रोजगार अस्थायी रूप से स्वीकार किया जा सकता है।

(ii) बोर्ड कर्मचारी, अपने परिवार के सदस्य द्वारा किसी भी निजी उपक्रम में रोजगार–स्वीकार के बारे अवगत होते ही यथा–शीघ्र उसकी सूचना निर्धारित प्राधिकारी को देगा और यह भी सूचित करेगा कि उस उपक्रम के साथ उसका कोई पदीय संबंध है या था।

परन्तु श्रेणी– I अधिकारी की दशा में, यदि उसने खण्ड (i) के अन्तर्गत बोर्ड से पहले स्वीकृत ले रखी हो या उसे सूचना भेज रखी हो तो ऐसी सूचना आवश्यक नहीं होगी।

(iii) बोर्ड का कोई भी कर्मचारी, अपने पदीय कर्त्तव्य निभाते हुए किसी ऐसे उपक्रम या ऐसे अन्य व्यक्ति के साथ किसी मामले पर कार्रवाई नहीं करेगा या उसे कोई संविदा नहीं देगा या स्वीकृत करेगा यदि उसके परिवार का कोई सदस्य उस उपक्रम में या उस व्यक्ति के अधीन रोजगार पर लगा हुआ है अथवा यदि वह या उसके परिवार का कोई सदस्य उस मामले या संविदा में किसी भी रीति से हितबद्ध हो, तो बोर्ड कर्मचारी ऐसे प्रत्येक मामले या संविदा को अपने उन अधिकारी को निर्दिष्ट करेगा, इसके बाद, मामले या संविदा का निपटान ऐसे प्राधिकारी के अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा जिसे निर्देश किया जाए।

उपहारः

6. (1) इन विनियमों में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, बोर्ड का कोई भी कर्मचारी किसी से उपहार स्वीकार नहीं करेगा, अथवा न ही अपने परिवार के किसी सदस्य या उसकी ओर से कार्य कर रहे किसी अन्य व्यक्ति को कोई उपहार, स्वीकार करने की अनुज्ञा देगा।

व्याख्याः अभिव्यक्ति ''उपहार'' में निशुल्क परिवहन, आवास, अस्थायी आवास या अन्य सेवा अथवा कोई अन्य धन संबंधी लाभ शामिल होगा जब एक निकट संबंधी अथवा व्यक्तिगत मित्र की अपेक्षा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बोर्ड कर्मचारी के पास कोई आधिकारिक कार्य न होते हुए प्रदान किया हो।

टिप्पणीः 1. आकस्मिक भोजन, लिफ्ट या अन्य सामाजिक आथिति–सत्कार को एक उपहार नहीं माना जाएगा।

टिप्पणीः 2 बोर्ड का कर्मचारी ऐसे व्यक्ति से खर्चीले आथिति–सत्कार या बारंबार सत्कार स्वीकार करने से बचेगा जिसको उसके पास औद्योगिक या वाणिज्यिक फर्मों, संगठनों आदि के आधिकारिक कार्य हों।

(2) विवाह, वर्षगांठ, दाह संस्कारों या धार्मिक उत्सवों जैसे अवसरों पर उपहार देना, जब प्रचलित धार्मिक या सामाजिक प्रथा के अनुरूप हो, बोर्ड कर्मचारी अपने निकट संबंधियों से उपहार ले सकता है परन्तु यदि उस उपहार का मूल्य नीचे दी गई राशि से अधिक हो तो वह बोर्ड को रिपोर्ट भेजेगाः–

(i) 500 रू. श्रेणी–I या II पद धारण करने वाले बोर्ड कर्मचारी की दशा में,

(ii) 250 रू. श्रेणी–III पद धारण करने वाले बोर्ड कर्मचारी की दशा में,

(iii) 100 रू. श्रेणी–IV का कोई पद धारण करने वाले बोर्ड कर्मचारी की दशा में,

(3) उप–नियम (2) में विशेष रूप से निर्दिष्ट ऐसे अवसरों पर, बोर्ड कर्मचारी अपने ऐसे निजी मित्रों से उपहार ले सकता है जिनके साथ उसके पदीय संबंध न हों, परन्तु यदि किसी ऐसे उपहार का मूल्य निम्नलिखित से अधिक हो तो वह बोर्ड को रिपोर्ट देगाः–

(i) 200 रू. श्रेणी–I या II पद धारण करने वाले बोर्ड कर्मचारी की दशा में,

(ii) 100 रू. श्रेणी–II का कोई पद धारण करने वाले बोर्ड कर्मचारी की दशा में,

(iii) 50 रू. श्रेणी–IV का कोई पद धारण करने वाले बोर्ड कर्मचारी की दशा में,

(4) किसी अन्य मामले में, बोर्ड कर्मचारी बोर्ड की मंजूरी के बिना निम्नलिखित से अधिक मूल्य का कोई उपहार स्वीकार नहीं करेगा या अपने परिवार के किसी सदस्य या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को स्वीकार करने की अनुज्ञा देगाः–

(i) 75 रू. श्रेणी–I या II का पद धारण करने वाले बोर्ड कर्मचारी की दशा में,

(ii) 25 रू. श्रेणी–III या श्रेणी–IV का पद धारण करने वाले बोर्ड कर्मचारी की दशा में,

दहेजः–

7. कोई भी बोर्ड कर्मचारीः–

(i) दहेज नहीं देगा या लेगा या दहेज के लेने या लेने की अभिप्रेरित नहीं करेगा, या

(ii) दुल्हे या दुल्हन के माता–पिता या अभिभावकों से, जैसी भी स्थिति हो, किसी दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग नहीं करेगा।

व्याख्याः– इस विनियम के प्रयोजनों के लिए दहेज के वही अर्थ हैं जो दहेज प्रतिशेष अधिनियम, 1961 (1961 का 28) से उद्धरण।

''दहेज प्रतिशेष अधिनियम, 1961'' (1961 का 28) से सारांश।

धाराः 2– दहेज की परिभाषा इस अधिनियम में दहेज का अर्थ है कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूत जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई है या देने के लिए निम्नलिखित द्वारा सहमति हैः–

(ए) विवाह के एक पक्ष द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष को, या

(बी) उक्त पक्षों के विवाह के लिए प्रतिफल के रूप में विवाह के किसी भी पक्ष के माता–पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, विवाह के किसी पक्ष को या किसी अन्य व्यक्ति को विवाह या उससे पहले या उसके बाद दी गई, किन्तु इसमें ऐसे व्यक्तियों की दशा में, जिन्हें मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) लागू होती है, दहेज या मेहर शामिल नहीं होगा।

व्याख्याः I – शंका निवारण के लिए इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि विवाह के अवसर पर विवाह के किसी भी पक्ष को नकदी, आभूषणों या अन्य वस्तुओं के रूप में दिया गया उपहार इस धारा के अर्थ के भीतर दहेज नहीं समझा जायेगा जब तक कि वे उक्त पक्षों के विवाह के लिए प्रतिफल के रूप में न दी गई हो।

बोर्ड कर्मचारियों के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन

8. कोई भी बोर्ड कर्मचारी, बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के बिना, अभिनन्दन या विदाई सम्मान प्राप्त नहीं करेगा या कोई पत्र नहीं लेगा या उसके सम्मान में आयोजित सभा या समारोह में या किसी अन्य बोर्ड कर्मचारी के सम्मान में आयोजित सभी या सत्कार समारोह में शामिल नहीं होगा।

परन्तु विनियमों की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी :–

(i) किसी बोर्ड कर्मचारी के या किसी अन्य बोर्ड कर्मचारी के सेवानिवृत्ति या बदली के अवसर पर या किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसने हाल ही में सेवा छोड़ दी हो, सम्मान में किया गया तत्त्वंतः व्यक्तिगत तथा अनौचारिक स्वरूप का विदाई समारोह, अथवाः

(ii) सार्वजनिक निकायों या संस्थाओं द्वारा व्यवस्थित साधारण तथा कम खर्चीले सत्कार स्वीकार करना।

टिप्पणीः किसी विदाई समारोह में चन्दा देने हेतु प्रेरणा देने के लिए किसी बोर्ड कर्मचारी पर किसी प्रकार का दबाव या प्रभाव डालना यदि समारोह अधिकांशतः व्यक्तिगत या अनौपचारिक स्वरूप का हो तथा तीसरी श्रेणी या चौथी श्रेणी से संबंध न रखने वाले किसी बोर्ड कर्मचारी के सत्कार में तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों से चंदा इक्टठा करना निषिद्ध है।

चन्दाः

9. कोई भी बोर्ड कर्मचारी बोर्ड या विहित अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना चन्दा नहीं मांगेगा या स्वीकार नहीं करेगा या किसी भी प्रकार के उद्देश्य के अनुसरण में धन या नकदी के रूप में संग्रह के लिए स्वयं को सहयोजित नहीं करेगा।

निवेश, उधार देना तथा लेना

10. (1) कोई भी बोर्ड कर्मचारी किसी स्टाफ, शेयर या अन्य निवेश में सट्टा नहीं लगायेगा।

व्याख्याः– शेयरों (हिस्सों) डिबेंचरों (ऋण–पत्रों) या अन्य निवेशों के कभी–कभार क्रय या विक्रय या दोनों को इस उप–विनियम के अर्थ के भीतर सट्टा समझा जायेगा।

(2) कोई भी बोर्ड कर्मचारी स्वयं कोई ऐसा निवेश नहीं करेगा या अपने परिवार के किसी सदस्य या उसकी और से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी किसी भी निवेश की अनुज्ञा नहीं देगा, जिससे अपने पदीय कर्तव्यों को निभाने में उसे बाधा हो या उस पर प्रभाव पड़ सकता हो।

(3) यदि कोई प्रश्न उठे कि कोई समव्यवहार उप–विनियम (1) या उप–विनियम (2) में निर्दिष्ट किस्म का कोई सौदा लेनदेन है या नही तो बोर्ड का उस पर निश्चय अन्तिम होगा।

(4) (i) कोई भी बोर्ड कर्मचारी स्वयं या अपने परिवार के किसी सदस्य के या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से, बैंक या किसी भी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के साथ कार्य के साधारण अनुक्रम वे सिवाय, निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा :–

(ए) स्वयं या किसी अभिकर्ता (एजेंट) के रूप में अपने प्राधिकार की सीमा के भीतर किसी व्यक्ति या फर्म या निजी सीमित कम्पनी को जिसके साथ उसका पदीय संबंध संभावित हो धर्म उधार देना या उससे उधार लेना या उसके पास धन जमा कराना या अन्यथा किसी ऐसे व्यक्ति या फर्म या निजी सीमित कम्पनी के प्रति किसी धनीय बाध्यता के अन्तर्गत अपने आपको लाना।

(बी) किसी व्यक्ति को ब्याज पर ऐसी रीति में धन उधार देना जिसके द्वारा धन या जिनिस में लाभ लिया या दिया जाए,

परन्तु यदि कोई बोर्ड कर्मचारी, संबंधी या व्यक्तिगत मित्र से छोटी रकम को बिल्कुल अस्थायी ब्याज रहित ऋण ले सकता है या उसे दे सकता है या सदाशयी व्यापारी के साथ उधार खाता खोल सकता है या अपने निजी कर्मचारी को वेतन की अग्रिम राशि दे सकता है,।

*परन्तु यह और कि इस उप–विनियम की कोई भी बात बोर्ड के कर्मचारी द्वारा बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के साथ किए गए किसी से व्यवहार के बारे में लागू नहीं होगी।

(ii) जब कोई बोर्ड कर्मचारी ऐसे स्वरूप वाले पद पर नियुक्त या स्थानान्तरित कर दिया जाए जिससे वह उप–विनियम (2) या उप–विनियम (4) के किसी उपबंध के उल्लंघन में संलिप्त हो सकेगा तो, वह ऐसी परिस्थितियों की रिपोर्ट तुरंत विहित प्राधिकारी को करेगा तथा उसके बाद ऐसे प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेशों के अनुसार कार्य करेगा।

चल, अचल तथा मूल्यवान सम्पत्ति

11. (1) (i) बोर्ड का प्रत्येक कर्मचारी किसी सेवा या पद पर अपनी प्रथम नियुक्ति पर अपनी परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का इन विनियमों के अनुबंध–I तथा II के रूप में संलग्नक प्रारूप (फार्म) में निम्नलिखित के बारे पूरा ब्यौरा देते हुए विवरणी प्रस्तुत करेगा :–

(ए) उसके द्वारा विरासत में प्राप्त या अपने स्वामित्व की या अर्जित की गई या अपने निजी नाम पर या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे पर या बन्धक (गिरवी) पर धारण की गई अचन सम्पत्ति,

(बी) उसके द्वारा विरासत में प्राप्त अथवा उसी प्रकार से उसके द्वारा अर्जित या धारण किए गए हिस्से (शेयर) ऋण–पत्र (डिबैंचर) तथा बैंक जमा राशियों समेत नकदी।

(सी) उसके द्वारा विरासत में प्राप्त या उसके द्वारा उसी प्रकार स्वामित्व की अपनी, अर्जित या धारण की गई अन्य चल सम्पत्ति और,

(डी) उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिए गए ऋण तथा अन्य देयताएं।

टिप्पणीः 1 उप–विनियम (1) साधारणतया चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा परन्तु बोर्ड निर्देश दे सकता है कि यह विनियम किसी ऐसे बोर्ड कर्मचारी या ऐसे बोर्ड कर्मचारियों के वर्ग पर भी लागू होगा।

टिप्पणीः 2 सभी विवरणियों में, चल सम्पत्ति की 2000 रूपए से कम मूल्य की चल सम्पत्ति की मद्दों का मूल्य इसमें शामिल करके एकमुश्त दर्शाया जा सकता है। दैनिक प्रयोग की वस्तुओं जैसे कपड़े, बर्तन, क्राकरी, पुस्तकों आदि का मूल्य विवरणियों में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है।

टिप्पणीः 3 जब सेवा से पहले ही संबंधित या पद धारण करने वाला कोई बोर्ड कर्मचारी किसी अन्य सेवा में या पद पर नियुक्त किया जाए तो उससे इस खण्ड के अन्तर्गत नई विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(ii) बोर्ड में किसी सेवा से संबंधित प्रत्येक कर्मचारी उपुर्यक्त खंड (i) में विहित प्रारूप (फार्म) में उसके द्वारा विरासत में प्राप्त या उसके स्वामित्व की या उसके द्वारा अर्जित या उसके द्वारा अपने निजी नाम पर या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बन्धक पर धारण की गई अचल सम्पत्ति के बारे में पूरा ब्यौरा देते हुए वार्षिक विवरणी भी प्रस्तुत करेगा।

(2) कोई भी बोर्ड कर्मचारी, विहित प्राधिकारी की पूर्व जानकारी के बिना, कोई भी अचल सम्पत्ति अपने निजी नाम पर या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पट्टे, बंधक खरीद, बिक्री_____दान द्वारा या अन्यथ अर्जित या निपटान नहीं करेगा।

परन्तु बोर्ड कर्मचारी द्वारा विहित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति ली जाएगी यदि ऐसा कोई संव्यवहार (लेनदेन) है–

(3) जहां बोर्ड का कोई कर्मचारी अपने नाम या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर किसी चल सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार कर ले, तो वह कर्मचारी श्रेणी–I अथवा श्रेणी–II पद धारण करने वाले बोर्ड कर्मचारी की दशा में ऐसी सम्पत्ति का मूल्य 2000 रूपये से अधिक हो अथवा कर्मचारी श्रेणी–III अथवा श्रेणी–IV पद धारण करने वाले बोर्ड कर्मचारी की दशा में मूल्य 1000 रूपये से अधिक हो तो वह इस प्रकार के संव्यवहार की तिथि से एक मास के भीतर विहित प्राधिकारी को उसकी रिपोर्ट देगा।

परन्तु विहित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति ली जाएगी, यदि ऐसा कोई संव्यवहार (लेनदेन) है–

(i) बोर्ड कर्मचारी के साथ पदीय संबंध रखने वाले व्यक्ति के साथ हो, अथवा

(ii) किसी नियमित या प्रसिद्ध विक्रेता के माध्यम से, अन्यथा।

(4) किसी बोर्ड या विहित प्राधिकारी, किसी भी समय सामान्य या विशेष आदेश द्वारा बोर्ड कर्मचारी से अपेक्षा कर सकता है कि वह उसके द्वारा या उसकी और से या उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा धारण या अर्जित की गई ऐसी चाल या अचल सम्पत्ति का, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, सम्पूर्ण विवरण, आदेश के विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा। ऐसे विवरण में यदि बोर्ड या विहित प्राधिकारी द्वारा ऐसा अपेक्षित हो, ऐसे साधनों का जिसके द्वारा या ऐसे स्रोत का ब्यौरा शामिल होगा जिससे ऐसी सम्पत्ति अर्जित की गई थी।

(5) बोर्ड श्रेणी–III या श्रेणी IV से संबंधित बोर्ड कर्मचारियों की किसी भी श्रेणी को उप–विनियम (4) के सिवाय, इस विनियम के किसी भी उपबंध से छूट प्रदान कर सकता है।

व्याख्याः 1: इस विनियम के प्रयोजनों के लिए :

(1) ''चल सम्पत्ति'' पद प्रयोग में निम्नलिखित सम्मिलित हैः–

(ए) आभूषण, ऐसी बीमा पॉलिसियां जिनकी वार्षिक किश्त 2000 रू. से या बोर्ड से प्राप्त कुल वेतन–भत्तों के 1/6 से जो भी कम हो, अधिक हो जाए, शेयर (हिस्से) प्रतिभूतियां, तथा ऋण–पत्र (डिबेंचर)।

(बी) बोर्ड के ऐसे कर्मचारियों द्वारा दिए गए प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण।

(सी) मोटर कारें, मोटर साईकिलें घोड़े या सवारी के कोई अन्य साधन, और

(डी) प्रशीतक (रेफ्रिजरेटर), रेडियो (रेडियोग्राम तथा टेलीविजन सेट) तथा बिजली/इलैक्ट्रानिक उपकरण/गैजेट, कैमरे।

(2) "विहित प्राधिकारी" से अभिप्राय है:–

(ए) (i) श्रेणी–I का कोई पद धारण करने वाले बोर्ड कर्मचारी की दशा में बोर्ड, सिवाय इसके कि बोर्ड द्वारा किसी प्रयोजन के लिए कोई निम्नतर प्राधिकारी विशिष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया गया हो,

(ii) विभागाध्यक्ष, किसी श्रेणी–II का पद धारण करने वाले बोर्ड कर्मचारी की दशा में,

(iii) कार्यालयाध्यक्ष, किसी श्रेणी–III या श्रेणी–IV का पद धारण करने वाले बोर्ड कर्मचारी की दशा में,

(बी) अन्य निगम आदि में इतर सेवा या प्रतिनियुक्ति आदि पर बोर्ड कर्मचारी के बारे में, उपर्युक्त (i), (ii) एवं (iii) में यथा वर्णित क्रमिक प्राधिकारी।

व्याख्या: II– इस विनियम के प्रयोजनों के लिए 'पट्टे' से अभिप्राय है सिवाय जहां वह बोर्ड कर्मचारी से प्रदीय व्यवहार रखने वाले व्यक्ति से प्राप्त किया गया हो या उसे दिया गया हो, वर्षानुवर्ष या एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए या वार्षिक किराया की आरक्षित कीमत वाली अचल सम्पत्ति का पट्टा।

भारत के बाहर अचल सम्पत्ति के अर्जन तथा निपटान और विदेशियों आदि के साथ संव्यवहार (लेनदेन) के संबंध में प्रतिबन्ध।

12. विनियम–II के उप–विनियम (2) में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, कोई भी बोर्ड कर्मचारी विहित प्राधिकारी की पूर्ण स्वीकृति के बिना–

(ए) भारत के बाहर स्थिम कोई अचल सम्पत्ति अपने निजी नाम पर, या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर क्रय, बंधक, पट्टे, दान द्वारा या अन्यथा अर्जित नहीं करेगा।

(बी) भारत से बाहिर किसी अचल सम्पत्ति को जो उसके द्वारा अपने नाम पर या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अर्जित या धारण की गई हो, विक्रय, बन्धरक, दान द्वारा अन्यथा निपटान नहीं करेगा या उसके बारे में कोई पट्टा नहीं देगा।

(सी) विदेशियों, विदेशी सरकार, संबंधित विदेशी संगठन के साथ निम्नलिखित के लिए कोई संव्यवहार (लेनदेन) करना–

(i) किसी अचल सम्पत्ति का, अपने निजी नाम पर या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर, क्रय, पट्टे, बंधक, दान, द्वारा या अन्यथ, अर्जन।

(ii) किसी ऐसी अचल सम्पत्ति के बारे में, जो उसके द्वारा अपने नाम या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर है या अर्जित की गई थी, का विक्रय, बंधक, दान द्वारा या अन्यथा अथवा कोई पट्टा देना, का निपटान करना।

व्याख्या: इस विनियम में विहित प्राधिकारी का वही अर्थ है जो उसे विनियम–II में दिया गया है।

कम्पनियों का संप्रवर्तन तथा प्रबंध

13. कोई भी बोर्ड कर्मचारी, बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के बिना, कम्पनी या किसी बैंक के संप्रवर्तन, पंजीकरण या प्रबंध में भाग नहीं लेगा।

परन्तु बोर्ड कर्मचारी, बोर्ड के किसी सामान्य या विशेष आदेश के उपबंधों के अनुसार, सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1912 (1912 का 11), या राज्य के किसी अन्य समान विधि के अधीन पंजीकृत सहकारी सोसायटी संप्रवर्तन, पंजीकरण या प्रबंध में भाग ले सकता है।

निजी व्यापार या रोजगार

14. (1) कोई भी बोर्ड कर्मचारी, बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी व्यापार या कारोबार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगेगा या किसी अन्य रोजगार के लिए कोई बातचीत करेगा या जिम्मा लेगा।

बशर्ते कि बोर्ड का कर्मचारी ऐसी मंजूरी के बिना–

(i) सामाजिक या धार्मिक स्वरूप का अवैतनिक कार्य कर सकता है, या

(ii) साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक स्वरूप का कभी कभार का काम कर सकता है, या

(iii) अव्यवसायी के रूप में खेल–कूद क्रियाकलापों में भाग ले सकता है,

इस शर्त के अधीन रहते हुए कि सभी मामलों में, उसके पदीय कर्त्तव्यों में उनके द्वारा रूकावट न आए। यदि बोर्ड द्वारा ऐसा आदेश दिया जाए, तो वह उस कार्य या क्रिया–कलाप को नहीं करेगा या जारी नहीं रखेगा।

व्याख्या: प्रबन्धित बीमा एजेंसी, कमीशन एजेंसी आदि के कारोबार की सहायता में बोर्ड कर्मचारी द्वारा उपार्थना।

(2) प्रत्येक बोर्ड कर्मचारी बोर्ड को सूचित करेगा कि यदि उसके परिवार का कोई सदस्य, व्यापार या कारोबार करता हो या बीमा एजेंसी, कमीशन एजेंसी (अभिकरण) का स्वामी हो या उसका प्रबंध करता है।

(3) कोई भी बोर्ड कर्मचारी, बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के बिना अपने प्रदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन करने के लिए किसी बैंक या अन्य कम्पनी, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या उस समय लागू किसी अन्य विधि के अन्तर्गत पंजीकृत करानी अपेक्षित हो या वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किसी सहकारी सोसायटी के पंजीकरण संप्रवर्तन या प्रबंध में भाग नहीं लेगा।

परन्तु बोर्ड कर्मचारी निम्नलिखित के पंजीकरण, संप्रवर्तन या प्रबंध में भाग ले सकता है:–

(i) कोई साहित्यिक, या धर्माथ सोसायटी, कम्पनी, कलब या उसकी प्रकार का संगठन जिसके लक्ष्यता उद्देश्य खेल–कूद, सांस्कृति या मनोरंजन क्रिया–कलापों के संवर्धन से संम्बन्धित हो, जो सोसायटी रजिस्टीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या कम्पनी अधिनियम, 1956 या उस समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन पंजीकृत हो, या

(ii) सहकारी सोसायटी अधिनियम 1912 (1912 का 2) या उस समय लागू विधि के अन्तर्गत पंजीकृत अधिकांश रूप में बोर्ड कर्मचारियों के लाभ के लिए कोइ सहकारी समिति।

(4) जब तक बोर्ड के सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा अन्यथ उपबंधित न हो, कोई भी बोर्ड कर्मचारी विहित प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना, उसके द्वारा किसी गैर सरकारी या लोक निकाय या किसी प्राईवेट (गैर सरकारी) व्यक्ति के लिए उसके द्वारा किए गए किसी काम के लिए कोई शुल्क (फीस) स्वीकार नहीं करेगा।

व्याख्या: यहां प्रयोग किए गए ''फीस'' पद का अर्थ वही होगा जो उसे पंजाब सि.से.नि. खण्ड–1 भाग-I (हरियाणा राज्य को यथा लागू) के नियम 2.18 में दिया गया है।

बोर्ड से बाहर आवेदन करने की अनुज्ञा

15. बोर्ड कर्मचारी, बोर्ड या उसके द्वारा विहित प्राधिकारी की विशेष अनुज्ञा के बिना बोर्ड से बाहर के किसी पद के लिए आवेदन या किसी सेवा के लिए प्रार्थना नहीं करेगा।

दिवालियापन तथा अभ्यस्त ऋण ग्रस्तता

16. बोर्ड कर्मचारी अभ्यस्त ऋणग्रस्तता से बचेगा। यदि काई कर्मचारी न्यायनिर्णीत या घोषित दिवालिया हो या उसके वेतन का सारा भाग, जो कुर्की के लिए दायी है, ऋण के लिए बार–बार कुर्क कर लिया जाता है, या दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए इस प्रकार लगातार कुर्क किया जाता रहा है या ऐसी राशि के लिए कुर्क कर लिया जाता है, जो साधारण परिस्थितियों में वह दो वर्ष की अवधि के भीतर नहीं लौटा सका, तो उसके बारे में यह मान लिया जाएगा, कि उसने इस विनियम का उल्लंघन किया है किन्तु उसके बारे इस प्रकार माने जो की आवश्यकता नहीं यदि वह सिद्ध कर दे कि दिवालियापन या ऋणग्रस्तता ऐसी परिस्थितियों का परिणाम है, जिसके बारे में साधारण तत्परता के प्रयोग से, उसे पूर्वाभास नहीं हो सकता था, या जिनके ऊपर उसका कोई वश न था और वह उसकी फिजूलखर्ची तथा व्यसनी आदतों के कारण नहीं हुई है। जो बोर्ड कर्मचारी दिवालिया न्यायनिर्णीत या घोषित किए जाने के लिए आवेदन करता है या इस प्रकार न्यायर्णीत या घोषित कर दिया जाए, वह अपने दिवालियापन की सूचना विहित प्राधिकारी को तत्काल देगा। बोर्ड कर्मचारी द्वारा आवेदन के बारे उसी प्रकार की सूचना ऋण सुलह बोर्ड को भेजनी आवश्यक है।

सूचना का अनाधिकृत संचार

17. कोई भी बोर्ड कर्मचारी, बोर्ड के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अनुसरण के या उसे सौंपे गये कर्त्तव्यों के सद्भाव पूर्वक पालन करने के बिना, किसी कार्यालय दस्तावेज या उसके किसी भाग को या जानकारी को किसी बोर्ड कर्मचारी को या किसी ऐसे व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित नहीं करेगा जिसे वह ऐसी दस्तावेज या जानकारी को संसूचित करने के लिए प्राधिकृत नहीं है।

व्याख्या:– बोर्ड कर्मचारी (कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष या बोर्ड को अपने प्रतिवेदन में) किसी पत्र, परिपत्र या कार्यालय ज्ञापन या मिसल कर ऐसी टिप्पणियों का या उनसे उद्धरण, जिस तक पहुंच के लिए वह प्राधिकृत नहीं है या जिन्हें वह अपनी निजी अभिरक्षा में या निजी प्रयोजनों हेतु रखने के लिए प्राधिकृत नहीं है, इस विनियम के अर्थ के भीतर जानकारी की अप्राधिकृत सूचना मानी जाएगी।

गैर–पदीय या अन्य प्रभाव का अनुपाचन

18. कोई भी बोर्ड कर्मचारी बोर्ड के अपनी सेवा से संबंधित मामले के बारे में अपने हित को बढ़ावा देने के लिए किसी उच्च प्राधिकारी पर रोब डालने के लिए कोई भी राजनीतिक या अन्य प्रभाव नहीं लाएगा या लाने का प्रयत्न करेगा।

प्रेस तथा रेडियो से संबंध

19. (1) कोई भी बोर्ड कर्मचारी, बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी समाचार–पत्र या अन्य प्रकाशन का पूर्ण या आंशिक स्वामी नहीं बनेगा संचालन नहीं करेगा या उसके संपादन या प्रबंध का उसमें भाग नहीं लेगा।

(2) कोई भी बोर्ड कर्मचारी, बोर्ड या विहित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना य अपने कर्त्तव्य के सदभाविक निर्वहन करने के बिना :–

(ए) किसी पुस्तक का स्वयं या प्रकाशक के माध्यम से प्रकाशन नहीं करेगा, या किसी पुस्तक या लेख–संकलन में लेख देगा, या

(बी) रेडियों प्रसारण में भाग लेगा, अपने निजी नाम पर या अनाम या छद्म नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर किसी समाचार पत्र या पत्रिका में लेख देगा या पत्र लिखेगा।

परन्तु ऐसी किसी भी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी–

(i) यदि ऐसा कोई प्रकाशन प्रकाशक के माध्यम से हो और पूर्ण रूप से साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक स्वरूप का होगा, या

(ii) यदि ऐसा लेख–प्रसारण या लेखपूर्णतया साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक स्वरूप का हो।

बोर्ड/सरकार की आलोचना

20. कोई भी बोर्ड कर्मचारी किसी रेडियों प्रसारण में या किसी अपने नाम से या बिना नाम के या छदनाम से या किसी अन्य व्यकित के नाम से प्रकाशित दस्तावेज या किसी प्रेस की संसूचना में या किसी सार्वजनिक भाषा में किसी ऐसे तथ्य या राय का कथन नहीं करेगा–

(i) जिससे बोर्ड या सरकार के किसी प्रचलित या हाल ही की नीति या कार्रवाहई की प्रतिकूल आलोचना का प्रभाव पड़े या जो बोर्ड के कर्मचारी द्वारा अपने कर्त्तव्य निभाने में की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित किसी बात के बारे में लांछन या मानहानि के स्वरूप के आरोप के समान हो या धमकी के समान संभावित हो।

(ii) जिससे बोर्ड तथा सरकार के बीच संबंधों में उलझन आ सकती हो।

(iii) जिससे सरकार तथा किसी विदेशी सरकार के बची में संबंधों में उलझन आ सकती हो।

परन्तु इस विनियम की कोई भी बात, कर्मचारी द्वारा अपनी पदीय हैसियत में या उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों के भली–भांती पालन में किए गए कथन या प्रकट किए गए विचारों को लागू नहीं होगी।

समिति (कमेटी) या किसी अन्य प्राधिकारी के सम्मुख साक्ष्य

21. (1) उप–विनियम (3) में यथा उपबन्धित के सिवाय, कोई भी बोर्ड कर्मचारी, बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के बिना, किसी व्यक्ति, समिति या प्राधिकारी द्वारा संचालित जांच के बारे में गवाही (साक्ष्य) नहीं देगा।

(2) जहां उप–विनियम (1) के अधीन कोई स्वीकृति प्रदान की गई है, यहां कोई भी बोर्ड कर्मचारी ऐसी गवाही देते समय बोर्ड या सरकार की किसी नीति या कार्रवाई की आलोचना नहीं करेगा।

(3) इस विनियम में कोई भी बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगीः–

(ए) बोर्ड, राज्य विधान मण्डल या संसद द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के सम्मुख जांच के समय दी गई गवाही, या

(बी) किसी न्यायिक जांच में दी गई गवाही, या

(सी) बोर्ड के अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा आदेशित किसी विभागीय जांच में दी गई गवाही।

राजनीति तथा चुनावों में भाग लेना

22. (1) कोई भी बोर्ड कर्मचारी, किसी राजनीतिक दल या किसी ऐसे संगठन का सदस्य नहीं बनेगा, न ही उसके साथ अन्यथा सहयोजित होगा जो राजनीति में भाग लेता हो तथा न ही वह किसी राजनीतिक आन्दोलन या गतिविधियों में भाग लेगा, उसकी सहायता में चन्दा देगा या किसी अन्य रीति में सहायता करेगा।

(2) प्रत्येक बोर्ड कर्मचारी का कर्त्तव्य होगा कि अपने परिवार के किसी भी सदस्य को बोर्ड या विधि द्वारा यथास्थापित सरकार के किसी ऐसे आन्दोलन या गतिविधि में भाग लेने, उसकी सहायता हेतु चन्दा देने या किसी अन्य रीति में सहायता करने से रोके जो बोर्ड या विधि द्वारा यथा–स्थापित सरकार के प्रति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विध्वंसक हो या जिसकी ऐसी प्रवृत्ति हो और जहां बोर्ड कर्मचारी अपने परिवार के सदस्य को किसी ऐसे आन्दोलन या गतिविधि में भाग लेने या उसकी सहायता में चन्दा देना या किसी अन्य रीति में सहायता देने से रोकने में असमर्थ हो तो वह बोर्ड को उस आशय की रिपोर्ट करेगा।

(3) यदि कोई प्रश्न उठे कि कोई दल राजनितिक दल है या नहीं, कोई संगठन राजनीति में भाग लेता है या नहीं या कोई आन्दोलन या गतिविधि उप–विनियम (2) के विषय क्षेत्र में आती है या नहीं तो बोर्ड का उस पर निश्चय अन्तिम होगा।

(4) कोई भी बोर्ड कर्मचारी किसी विधान मण्डल या स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव में उपाथंना नहीं करेगा या अन्यथा उसके हस्तक्षेप नहीं करेगा या उसके बारे में अपने प्रभाव का प्रयोग नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा।

परन्तु यह कि–

(i) ऐसे चुनाव में मत देने के लिए अर्हित कोई बोर्ड कर्मचारी मत देने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है, परन्तु जहां वह ऐसा करे तो उस रीति का संकेत नहीं करेगा जिसमें वह मत देने का प्रस्ताव रखता हो या जिसमें उसने मत दिया है,

(ii) कोई भी बोर्ड कर्मचारी इस उप–विनियम की उपबंधों का केवल इस कारण से उल्लंघन कर चुका नहीं माना जाएगा कि वह उस समय लागू किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित (लागू किए गए) कर्त्तव्यों के भली–भांति पालन में किसी चुनाव के संचालन में सहायता करता है।

व्याख्याः– बोर्ड कर्मचारी द्वारा अपने शरीर, वाहन या निवास पर किसी चुनाव–चिह्न का प्रदर्शन इस उपविनियम के अर्थ के भीतर चुनाव के बारे में अपना प्रभाव प्रयोग करने के समान होगा।

बोर्ड के कर्मचारियों के इस रूप में कार्यों तथा चरित्र का न्यायोचित ठहरानाः

23. (1) कोई भी बोर्ड कर्मचारी, बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के बिना अपने पदीय कार्यों के उचित ठहराने के लिए किसी न्यायालय या प्रैस (समाचार पत्रों) का सहारा नहीं लेगा।

(2) इस विनियम की किसी भी बात के बारे में यह नहीं माना जाएगा कि वह बोर्ड के कर्मचारी को अपनी निजी आचरण या अपनी निजी हैसियत में उसके द्वारा किए गए किसी कार्य को उचित ठहराने को रोकती है और वहां अपने निजी आचरण या अपनी निजी हैसियत में उसके द्वारा किए गए किसी कार्य को उचित ठहराने के लिए कोई कार्रवाई की जाए तो बोर्ड कर्मचारी ऐसी कार्रवाई के संबंध में विहित प्राधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

बोर्ड कर्मचारियों द्वारा संघों में शामिल होनाः

24. कोई भी बोर्ड कर्मचारी किसी ऐसे संघ में सम्मिलित नहीं होगा या उसका सदस्य नहीं बना रहेगा, जिस के उद्देश्य या क्रिया–कलाप भारत की प्रभुसत्ता तथा अखण्ड़ता के हितों के तथा लोक व्यवस्था या नैतिकता के विपरित हो।

प्रदर्शन तथा हड़तालः

25. कोई भी बोर्ड कर्मचारीः–

(i) किसी ऐसे प्रदर्शन में अपने आपकों नहीं लगाएगा या भाग नहीं लेगा जोकि भारत की प्रभुसत्ता तथा अखण्ड़ता के हितों, राज्य सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबन्धों, लोक व्यवस्था, शिष्टता या नैतिकता आदि के प्रतिकूल हो या जिससे न्यायलय का अवमान, मानहानि या अपराध के लिए दुष्प्रेरणा हो, किसी अपराध में स्वयं को पदनाम न कराये, या बोर्ड द्वारा प्रदान की गई सम्प्रदाय को आवश्यक उपयोगी सेवा के प्रचालन में किसी विघ्न या बाधा पड़ने की संभावना हो।

(ii) अपनी सेवा या किसी अन्य बोर्ड कर्मचारी की सेवा में सम्बन्धित किसी मामले के बारे में किसी हड़ताल का आश्रय नहीं लेगा या किसी प्रकार की हड़ताल को किसी प्रकार से दुष्प्रेरित नहीं करेगा, या बलप्रयोग या शारीरिक यातना का आश्रय नहीं लेगा, या

(iii) किसी कार्यकर्ता या अन्य सरकार/बोर्ड कर्मचारी को अपने कार्य स्थान पर जाने या उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों के पालन से विरत या निवारित नहीं करेगा।

व्याख्याः– ''हड़ताल'' से अभिप्राय है कर्मचारियों के समूह द्वारा मिलकर काम करने से इंकार करना या काम बन्द करना या उसकी गति धीमी करना, तथा इसमें निम्नलिखित सम्मिलित है :–

(ए) किसी अनुज्ञा के बिना काम से सामूहिक अनुपस्थिति ''जिसे गलती से सामूहिक आकस्मिक अवकाश कहा जाता है।''

(बी) नियत समय के बाद कार्य करने से इंकार करना जहां ऐसा इस प्रकार का समयोपरान्त कार्य लोकहित में आवश्यक हो,

(सी) ऐसे कार्यों या आचरण का आश्रय लेना जिसके फलस्वरूप काम बन्द हो जाए या उसमें भारी बाधा पड़ जाए या ऐसे होने की संभावना हो। सेस कार्यों में सम्मिलित हैं, वे हैं, वे है धीमी गति से कार्य करना, धरना देना, कलम छोड़ों, हड़ताल सांकेतिक, सहानुभूति हेतु या इसी प्रकार की कोई अन्य हड़ताल, किसी बन्ध या इसी प्रकार के किन्ही आन्दोलनों में भाग लेने के लिए कार्य से अनुपस्थिति।

जो बोर्ड कर्मचारी उपर्युक्त प्रकार की कार्यवाई का सहारा ले वे इन विनियमों के विनियम–25 का उल्लघंन करते है और उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। यह बात उल्लेखनीय है कि पहले उल्लिखित क्रिया कलापों की सूची जो हड़ताल की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं, केवल उदाहरणात्मक है न कि पूर्ण एवं व्यापक। इससे उन कामों के संबंध में स्थिति स्पष्ट होती है जिसका वर्तमान समय पर सहारा लिया जाता है।

नशीले पेयों तथा औषधियों का उपभोगः

26. कोई भी बोर्ड कर्मचारीः–

(ए) कर्मचारी जिस क्षेत्र में सह समयनुसार हो, यहां नशीले पेयों या औषधियों के बारे लागू विधि का कठोरता से पालन करेगा,

(बी) अपनी डयूटी के दौरान किसी भी नशीले पेय औषधि के प्रभावाधीन नहीं होगा तथा बस बात का उचित ध्यान भी रखेगा कि किसी भी समय किसी भी कर्मचारी के कर्त्तव्य पालन पर किसी भी प्रकार से ऐसे नशीले पेय या औषधि से प्रभाव न पड़े।

(सी) किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी नशीले पेय या औषधि का उपभोग करने से विरत रहेगा।

(डी) किसी सार्वजनिक स्थान पर नशे की हालत में उपस्थित नहीं होगा।

(इ) किसी भी नशीले पेय या औषधि का अत्यधिक प्रयोग नहीं करेगा।

व्याख्याः– इस विनियम के प्रयोजन के लिए ''सार्वजनिक स्थान'' से अभिप्राय है कोई स्थान या परिसर (जिसमें सवारी शामिल है) जिसमें जन–साधारण की भुगतान पर या अन्यथा पहुंच रखता हो या उस पहुंच रखने की अनुज्ञा हो।

द्विविवाह

27. (1) कोई भी बोर्ड कर्मचारी जीवित पति/पत्नी वाले किसी व्यक्ति के साथ विवाह या उसकी संविदा नहीं करेगा तथा

(2) जीवित पति/पत्नी वाला कोई भी बोर्ड कर्मचारी किसी व्यक्ति के साथ विवाह या उसकी संविदा नहीं करेगा।

परन्तु बोर्ड किसी कर्मचारी को उप–विनियम (1) या उप–नियम (2) में निर्दिष्ट कोई विवाह या उसकी संविदा करने की अनुज्ञा दे सकता है यदि बोर्ड को इस बात की संतुष्टि हो कि–

(ए) ऐसा विवाह ऐसे बोर्ड कर्मचारी तथा विवाह के अन्य पक्ष को लागू स्वीय विधि/प्रथा के अधीन अनुज्ञेय है।

(बी) ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी हैं।

केन्द्रीय/राज्य अधिनियमों/नियमों का अधिप्रभावी प्रभाव

28. इन विनियमों में जब भी किसी उपबंध का कारखाना अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, भारतीय श्रमिक संघ अधिनियम, मजदूरी संदाय अधिनियम या उनके अधीन नियमों या बोर्ड को लागू किसी अन्य विधि के उपबंधों के साथ टकराब हो तो इन अधिनियमों द्वारा विनियमित कर्मचारी की दशा में इन अधिनियम तथा नियमों के उपबंध अधिप्रभावी होंगे।

निर्वचन (अर्थ निर्णय)

29. इन विनियमों के अर्थनिर्णय के संबंध में यदि कोई प्रश्न उठे तो वह बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर निश्चय अन्तिम होगा।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

30. बोर्ड, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह उचित समझे, अपने किसी भी अधीनस्थ प्राधिकारी की इस विनियमों के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए बोर्ड की शक्तियों तथा कृत्यों के प्रयोग के लिए प्राधिकृत कर सकता है।

निरसन तथा व्यावृति

31. पंजाब राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी आचरण विनियम 1965, (बोर्ड के कार्यालय आदेश संख्या 19/ह.रा.बि.बो., दिनांक 10.05.67 द्वारा अंगीकृत) इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं

परन्तु इस प्रकार निरसित विनियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन विनियमों के अनुरूप उपबन्धों के अनुसार किया की गई समझी जाएगी।

परन्तु यह और कि ऐसा निरसन इस प्रकार निरसित विनियमों के पूर्व प्रवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा और उक्त विनियमों में से किसी का उल्लंघन, इस प्रकार दंडणीय होगा, मानों यह इन विनियमों का उल्लंघन हो।

ये संशोधन 20.03.1984 अर्थात कार्यालय आदेश जारी होने की वास्तविक तिथि से लागू माने जाएंगे।

टी० सी० गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विद्युत विभाग।

चण्डीगढ़:
दिनांक 11 मई, 2020.

अनुबंध– I

बोर्ड कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1984, के विनियम–II के अधीन चल–सम्पत्ति के लिए घोषणा–पत्र

बोर्ड कर्मचारी का नाम तथा पद.....

पता.....

दिनांक.....को दिया गया विवरण

(ए) (i) नकदी, गहने, सोना–चांदी, बैंक जमा राशियां, बीमा पोलिसियां, हिस्से (शेयर), प्रतिभूतियां और ऋण–पत्र (डिबैंचर)।

(ii) मोटर कारें, मोटर साईकिलें, घोड़े और या सवारी के कोई अन्य साधन।

(iii) प्रशीतक (रेफ्रिजरेटर) वीडियो, रेडियोग्राम, टेलीवीजन, स्टीरियों, टेप रिकार्डर आदि।

(iv) दुधारू पशु

क्र.सं.	मद्दों का विवरण	मूल्य (कीमत)	बोर्ड कर्मचारी के परिवार के सदस्य और बेनामीदार (यदि कोई है) का नाम जिसके नाम परिसंपत्ति धारण की जाती है।	वर्ष के दौरान नये अर्जन की तिथि तथा रीति	विशेष कथन
1	2	3	4	5	6

(बी)	दिए गए ऋण, चाहे प्रतिभूत हो या नहीं। यदि प्रतिभूत हो तो प्रतिभूति का स्वरूप अर्थात गहने, साधारण प्रोनोट, कब्जे सहित या रहित बन्धक–पत्र					
क्र.सं.	ऋण की राशि	यदि कोई ऋण प्रतिभूत हो तो प्रतिभूत का स्वरूप तथा उसका अनुमानित मूल्य	बोर्ड कर्मचारी के परिवार के सदस्य का नाम जिसने ऋण दिया है।	ऋणी का नाम तथा विवरण	ऋण की विशेष नाम तथा तिथि कथन तथा अन्य विवरण	विशेष कथन
1	2	3	4	5	6	7

टिप्पणी: ''बोर्ड कर्मचारी के परिवार का सदस्य'' पद का अर्थ निणर्य ''हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी (आचरण)विनियम, 1984 के विनियम 3(3) की परिभाषा के अनुसार किया जाए।

बोर्ड कर्मचारी के हस्ताक्षर

अनुबंध– II

(विनियम–II में निर्दिष्ट)

श्री.....द्वारा अपने द्वारा तथा अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा धारण की गई अचल सम्पत्ति के बारे में दिनांक .....को की गई घोषणा।

टिप्पणियां:

(1) भूमि में स्थायी स्वरूप के सभी हित, चाहे स्वामित्व, बन्धक या वंशानुगत, अधिभोग, दर्ज किए जाने चाहिए, नगरों में सभी निवासीय घर भी।

(2) बोर्ड कर्मचारी के परिवार के सदस्य वे हैं जो ''हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड (आचरण) विनियम, 1984'' के विनियम 3 (3) में वर्णित हैं और प्रत्येक जोत घृति दर्शाने में, यदि जोत बनायी हो तो बेनामदार का नाम अलग से अंकित किया जाना चाहिए।

किस जिला, तहसील तथा गांव में स्थित	जोत का विवरण तथा क्षेत्र फल और निर्धारण	कैसे तथा कब अर्जित (उदाहरण के लिए विरासत, पुनः दान, खरीद (क्रय) द्वारा
1	2	3

बोर्ड कर्मचारी के हस्ताक्षर तथा पदनाम

HARYANA GOVERNMENT

POWER DEPARTMENT

Notification

The 11th May, 2020

No. 84/REG-253/Vol-IV.— In compliance with provisions contained in section 79(c) of Electricity Supply Act, 1948 as applicable w.e.f. 15.03.1984 to 13.08.1998 and read with provisions contained in section 56 (vi) of Haryana Electricity Reform Act, 1997 (Haryana Act No. 10 of 1998), the Governor of Haryana is pleased to notify the following regulations governing conduct of employees of the Board issued by erstwhile HSEB *vide* Office order No. 10/REG-20/HSEB dated 20.03.1984 w.e.f. date of office order:-

CONDUCT REGULATION

In exercise of the powers conferred by clause (c) of Section 79 of the Electricity (Supply) Act, 1948, and all other enabling powers in this behalf, the Haryana State Electricity Board is pleased to make the following regulations governing conduct of employees of the Board:-

SHORT TITLE, COMMENCEMENT & APPLICATION

(1) These regulations may be called "The Haryana State Electricity Board employees (Conduct) Regulations, 1984".

(2) These shall come into force at once.

(3) Except as otherwise provided in Regulation-2, these regulations shall apply to all employees of the Board, whether on duty, under suspension, on leave or foreign service.

2. These regulations shall not apply to Government employees whose services were transferred to the erstwhile Punjab Government Servents Conduct Rules, 1966 as amended from time to time, till such times that they opt to come under these regulations.

DEFINITIONS.

Unless there is any thing repugnant to the subject or context in these regulations:-

(1) "Board means the Haryana State Electricity Board constituted under Section 5 of the Electricity (Supply) Act, 1948 and shall include its successors and assigns.

(2) "Board Employee" means a member of any of the Board Services and includes any person taken in the employ of the Board on contract basis.

Explanation:- A Board employee whose services are placed at the disposal of a Government Company, Corporation, Organisation or a Local Authority by the Board, shall, for the purpose of these regulations, be deemed to be a Board employee serving under the Board notwithstanding that his salary is drawn from sources other than the Board.

(3) "Members of family" in relation to a Board employee includes:-

(a) the wife or husband, as the case may be, of the board employee, whether residing with the Board employee or not, but does not include a wife or husband, as the case may be, separated from the Board employee by the decree or order of a competent Court;

(b) son or daughter or step-son or step-daughter of the Board employees and wholly dependent on him, but does not include a child or step-child who is no longer in any way dependent on the Board employee or of whose custody of the Board employee has deprived by or under any law;

(c) any other person related, whether by blood or marriage, to the Board employee or to the Board employee's wife or husband and wholly dependent on the Board employee.

(4) "Prescribed Authority" means the authority as defined in explanation-I of Regulation-II of these Regulation.

Note 1

(i) Any expression containing the masculine gender in these regulations shall also, include the femine gender.

(ii) Words importing the singular number shall include the plural number and vice versa.

GENERAL

(1) Every Board employee shall at all times:-

(i) discharge his duties and assignments with integrity, loyalty and promptitude;

(ii) maintain absolute integrity and devotion to duty;

(iii) observe due decorum in his official dealings and shall behave courteously with members of the public, colleagues and subordinates;

(iv) do nothing which is unbecoming of a Public Servant / Board Employee;

(v) be at work punctually. An employee who, after presenting himself for work, is absent without permission from his proper place of work during the prescribed hours of work, shall be liable to be treated as absent and shall be subject to such disciplinary action as the Competent Authority may deem fit.

(2) Every Board employee holding a supervisory post shall take all possible steps to ensure the integrity and devotion to duty of all Board employees for the time being under his control and authority.

EMPLOYEMENT OF NEAR RELATIVES OF BOARD EMPLOYEES IN PRIVATE UNDERTAKINGS ENJOYING BOARD PATRONAGE

(1) No Board employee shall use his position or influence directly or indirectly to secure employment for any member of his family in any private undertaking.

(2) (i) No Class-I Officer shall, except with the previous sanction of the Board, permit his son, daughter or other dependent to accept employment in any private undertaking with which he has official dealings or in any other undertaking having official dealing with the Board.

Provided that where the acceptance of the employment cannot await prior permission of the Board or is otherwise consider urgent, the matter, shall be reported to the Board, and the employment may be accepted provisionally subject to the permission of the Board.

(ii) A Board employee shall, as soon as he becomes aware of the acceptance by a member of his family of an employment in any private undertaking intimate such acceptance to the prescribed authority and shall also intimate whether he has or has had any official dealings with the undertaking;

Provided that no such intimation shall be necessary in the case of Class-I Officer if he has already obtained the sanction of, or sent a report to the Board under clause (i).

(iii) No Board employee shall, in the discharge of his official duties, deal with any matter or give or sanction any contract to any undertaking or any other person if any member of his family is employed in that undertaking or under that person or if he or any member of his family interested in such matter or contract in any other manner and the Board employee shall refer every such matter or contract to his superior officer and the matter or contract shall, thereafter, be disposed of according to the instructions of the authority to whom the reference is made.

GIFTS

6. (1) Save as otherwise provided in these regulations, no Board employee shall accept, or permit any member of his family or any other person acting on his behalf to accept, any gifts.

Explanation: The expression "gift" shall include free transport, boarding, lodging or other service or any other pecuniary advantage when provided by any person other than a near relative or personal friend having no official dealings with the Board employee.

NOTE: 1. A casual meal, lift or other social hospitality shall not be deemed to be a gift.

NOTE: 2. A Board employee shall avoid accepting levish hospitality or frequent hospitality from any individual having official dealing with him or from industrial or commercial firms, organization etc.

(2) On occasion, such as wedding, anniversaries, funerals or religious functions , when the making of a gift is in conformity with the prevailing religious or social practice a Board employee may accept gifts from his near relatives but he shall make a report to the Board if the value of any such gifts exceeds:-

(i) Rs. 500, in the case of a Board employee holding any Class-I or Class-II post;

(ii) Rs. 250, in the case of a Board employee holding any Class-III post; and

(iii) Rs. 100, in the case of a Board employee holding any Class-IV post.

(3) On such occasions as are specified in Sub-regulation (2), a Board employee may accept gift from his personal friends having no official dealing with him, but he shall make a report to the Board, if the value of any such gift exceeds:-

(i) Rs. 200, in the case of a Board employee holding any Class-I or Class-II post;

(ii) Rs. 100, in the case of a Board employee holding any Class-III post; and

(iii) Rs. 50, in the case of a Board employee holding any Class-IV post.

(4) In any other case, a Board employee shall not accept or permit any member of his family or any other person acting on his behalf to accept, any gift without the sanction of the Board if the value thereof exceeds:-

(i) Rs. 75, in the case of a Board employee holding any Class-I or Class-II post;

(ii) Rs. 25, in the case of a Board employee holding any Class-III or Class-IV post.

DOWRY

No Board employee shall:-

(i) give or take abet the giving or taking of dowry; or

(ii) demand directly or indirectly, from the parent or guardian of bride or bridegroom, as the case may be, any dowry.

Explanation:- For the purpose of this regulation, "dowry" has the same meaning as I the Dowry Prohibition Act, 1961 (28 of 1961).

EXTRACT FROM "THE DOWRY PROHIBITION ACT, 1961" (28 OF 1961)

Section : 2- Definition of "dowry " – In this Act, "Dowry" means any property or valuable security given or agreed to be given either directly or indirectly –

(a) by one party to a marriage to the other party to the marriage; or

(b) by the parents of either party to a marriage or by any other person to either praty to the marriage or to any other person; as or before or after the marriage as consideration for the marriage of the said parties, but does not include dower or mahar in the case of persons to whom the Muslim Personal Law (Shariat) applies.

Explanation : I – For the removal of doubts, it is hereby declared that any present made at the time of marriage to either party to the marriage in the form of cash, ornaments, clothes or other articles , shall not be deemed to be dowry within the meaning of this section, unless they are made to as consideration for the marriage of the said parties.

PUBLIC DEMONSTRATIONS IN HONOUR OF BOARD EMPLOYEES

8. No Board employee shall, except with the previous sanction of the Board, receive any complimentary or valedictory address or accept any testimonial or attend any meeting or entertainment held in his honour, or in the honour of any other Board employee.

Provided that nothing in this regulation shall apply to:-

(i) a farewell entertainment of a substantially private and informal character held in honour of a Board employee of any other Board employee on the occasion of his retirement or transfer or any person who has recently quitted the service; or

(ii) the acceptance of simple and inexpensive entertainments arranged by public bodies or institutions.

NOTE: Exercise of pressure or influence of any sort on any Board employee to induce him to subscribe towards any farewell entertainment even if it is of a substantially private or informal character and the collection of subscriptions from Class-III or Class-IV employees under any circumstance for the entertainment of any Board employee not belonging to Class-III or Class-IV, is forbidden.

SUBSCRIPTION

9. No Board employee shall except with the previous sanction of the Board or of the prescribed authority, ask for or accept contributions to, or otherwise associate himself with the raising of, any funds or other collections in cash or in kind in pursuance of any object whatsoever.

INVESTMENT, LENDING AND BORROWING

10. (1) No Board employee shall speculate in any stock, share or other investment.

Explanation:- Frequent purchase or sale or both, of shares, securities or other investments shall be deemed to be speculation within the meaning of this sub-regulation.

(2) No Board employee shall make, or permit any member of his family or any person acting on his behalf to make, any investment which is likely to embarrass or influence him in the discharge of his official duties.

(3) If any question arisen whether any transaction is of the nature referred in sub-regulation (1) or sub-regulation (2), the decision of the Board thereon shall be final.

(4) (i) No Board employee shall save in the ordinary course of business with the bank or a public limited company, either himself or through any member of his family or any other person acting on his behalf.

(a) lend or borrow or deposit money, as a principal or an agent, to, or from, or with, any person of firm or private limited company within the local limits of his authority or with whom he is likely to have official dealing or otherwise place himself under any pecuniary obligation to such person or firm or private limited company; or

(b) lend money to any person at interest or in a manner whereby return in money or in kind is charged or paid;

Provided that a Board employee may give to, or accept from, a relative or a personal friend a purely temporary loan of a small amount free of interest, or operate a credit account with a bona-fide tradesman or make an advance of pay to his private employee;

* further Provided that nothing in this sub-regulation shall apply in respect of any transaction entered into by a Board employee with the previous sanction of the Board.

(ii) When a Board employee is appointed or transferred to a post of such nature as would involve him in the breach of any of the provisions of sub-regulation (2) or sub-regulation (4) he shall forthwith report the circumstances to the prescribed authority and shall thereafter act in accordance with such order as may be made by such authority.

MOVABLE, IMMOVABLE AND VALUABLE PROPERTY

11. (1) (i) Every Board employee shall on his first appointment to any service or post submit a return of his assets and liabilities, in the form annexed as Annexure-I and II to these regulations, giving the full particulars regarding:

(a) the immovable property inherited by him, or owned or acquired by him or held by him on lease or mortgage , either in his own name or in the name of any member of his family or in the name of any other person;

(b) shares, debentures and cash including bank deposits inherited by him or similarly owned acquired, or held by him;

(c) other movable property inherited by him or similarly owned, acquired or held by him; and

(d) debts and other liabilities incurred by him directly or indirectly.

NOTE: I Sub-regulation (1) shall not ordinarily apply to Class-IV employee but the Board ay direct that it shall apply to any such Board employee or class of such Board employee.

NOTE-2 In all returns, the values of items of movable property worth less than Rs. 2000 ma be added and shown as a lump sum. The value of articles of daily use such as clothes, utensils, crockery, books etc. need not be included in such returns.

NOTE-3 Where a Board employee already belongs to a service or holding a post is appointed to any other service or post, he shall not be required to submit a fresh return under this clause.

(ii) Every Board employee belonging to any service in the Board shall also submit an annual return in the form prescribed in clause (i) above giving full particulars regarding the immovable property inherited by him or owned or acquired by him or held by him on lease or mortgage either in his own name or in the name of any member of his family or in the name of any other person.

(2) No Board employee shall, except with the previous knowledge of prescribed authority, acquire or dispose of any immovable property by lease , mortgage, purchase, sale _____ gift or otherwise either in his own name or in the name of any member of his family;

Provided that the previous sanction of the prescribed authority shall be obtained by the Board employee if any such transaction is –

(3) Where a Board employee enter into a transaction in respect of movable property either in his own name or in the name of any member of his family, he shall, within one month from the date of such transaction, report the same to the prescribed authority, if the value of such property exceeds Rs. 2000 in the case of Board employee holding any class-I or class-II post or Rs. 1000/- in the case of Board employee holding any Class III and Class IV post.

Provided that the previous sanction of the prescribed authority shall be obtained if any such transaction is-

(i) with a person having official dealing with the Board employee; or

(ii) otherwise than through a regular or reputed dealer.

(4) The Board or the prescribed authority, may at any time , by general or special order, require a Board employee to furnish , within a period specified in the order , a full and complete statement of such movable or immovable property held or acquired by him or on his behalf or by any member of his family as may be specified in the order. Such statement shall , if so required by the Board or by the prescribed authority, include the details of the means by which or the source from which ; such property was acquired.

(5) The Board may exempt any category of Board employee belonging to Class-III or Class-IV from any of the provisions of this regulations except sub-regulation- (4).

Explanation : 1: For the purpose of this regulation :

(1) the expression "movable property" include-

(a) jewellery, insurance policies, the annual premia of which exceeds Rs.2000 of one-sixth of the total annual emoluments received from Board, whichever is less, shares, securities and debentures;

(b) loans advances by such Board shares, secured or not;

(c) motor car, motor cycles, horses or any other means of conveyance; and

(d) refrigerators, radios (radiograms and television sets) and electric/electronic appliances/godges, cameras.

(2) "prescribed authority" means-

(a) (i) The Board, in the case of a Board employee holding any Class-I post, except where any lower authority is specifically specified by the Board for any purpose;

(ii) Head of Department, in the case of a Board employee holding any Class-II post;

(iii) Head of office, in the case of a Board employee holding any Class-III or Class-IV post;

(b) in respect of a Board employee on foreign service or on deputation to other corporation etc. the respective authority as mentioned in (i), (ii) & (iii) above.

Explanation II – for the purpose of this regulation 'lease' means, except where it is obtained from or granted to, a person having official dealing with the Board employee, a lease of immovable property from years to year or for any term exceeding one year or reserving a yearly rent.

RESTRICTIONS IN RELATION TO ACQUISITION AND DISPOSAL OF IMMOVABLE PROPERTY OUT SIDE INDIA AND TRANSACTIONS WITH FOREIGNERS ETC.

12. Notwithstanding anything contained in sub-regulation (2) of Regulation-II, no Board employee shall except with the previous sanction of the prescribed authority-

(a) acquire, by purchase, mortgage, lease, gift or otherwise, either in his own name or in the name of any member of his family, any immovable property situated outside of India.

(b) dispose of, by sale, mortgage, gift or otherwise or grant any lease in respect of any immovable property situated outside India which was acquired or held by him either in his own name or in the name of any member of his family;

(c) enter into any transaction with the foreigner, foreign Government, foreign organisation of concern –

(i) for the acquisition, by purchase, lease mortgage, gift or otherwise, either in his own name or in the name of any member of his family, or any immovable property;

(ii) for the disposal of, by sale, mortgage, gift or otherwise or the grant of any lease in respect of any immovable property which was acquired or is held by him either in his own name or in the name of any member of his family;

Explanation: In this regulation 'Prescribed Authority' has the same meaning as in Regulation-II.

PROMOTION AND MANAGEMENT OF COMPANIES

13. No Board employee shall, except with the previous sanction of the Board, take part in the promotion, registration or management of any bank of company.

Provided that a Board employee may, in accordance with the provisions of any general or special order of the Board, take part in the promotion, registration or management of a Co-operative Society registered under the co-operative societies act, 1912 (11 of 1912), or under any similar law of the state.

PRIVATE TRADE OR EMPLOYMENT

14. (1) No Board employee shall, except with the previous sanction of the Board, engage directly or indirectly in any trade or business or negotiate for or undertake any other employment.

Provided that a Board employee may, without such sanction –

(i) undertake honorary work of a social or charitable nature, or

(ii) undertake occasional work for a literary, artistic or scientific character, or

(iii) participate in sports activities as amateur;

subject to the condition that in all the cases, his official duties do not thereby suffer. He shall not undertake or shall discontinue, such work or activity, if so directed the Board.

Explanation – Canvassing by a Board employee in support of the business of insurance agency, commission agency etc.,

(2) Every Board employee shall report to the Board if any member of his family is engaged in a trade or business owns or manages an insurance agency or commission agency.

(3) No Board employee shall, without the previous sanction of the Board, except in the discharge of his official duties, take part in the registration promotion, or management of any bank or other company which is required to be registered under the companies Act, 1956 (1 of 1956) or any other law for the time being in force, or any co-operative society for commercial purposes.

Provided that a Board employee may take part in the registration, promotion or management of-

(i) a literary, scientific, or charitable society or of company, club or similar organisation the aims and object of which relates to promotion of sports, cultural or recreational activities, registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or the Companies Act, 1956 or any other law for the time being in force; or

(ii) a co-operative society substantially for the benefit of Board employees registered under the Co-operative Societies Act, 1912 (2 of 1912) or any other law for the time being in force.

(4) Unless otherwise provided by general or special order of Board, no Board employee may accept any fee for any work done by him for any private or public body or any private person without the sanction of the prescribed authority.

Explanation- The term 'fee' used here shall have the meaning as assigned to its Rule 2.18 of the Punjab C.S.R. Vol-I Part-I (as applicable to Haryana State).

PERMISSION TO APPLY OUTSIDE THE BOARD

15. A Board employee shall, not apply for any post or seek any service outside the Board without the specific permission or the Board or the authority prescribed by it.

INSOLVENCY AND HABITUAL INDEBTEDNESS

16. A Board employee shall avoid habitual indebtedness. If an employee is adjusted or declared insolvent, or if the whole of the portion of his salary which is liable to attachment if frequently attached for debt, has been continuously so attached for a period exceeding two years, or is attached for a some which in ordinary circumstances, he could not repay within a period of two year(s) he shall be presumed to have contravened this regulation. But he need not be so deemed, if he proves that the insolvency or indebtedness is the result of circumstances which, with the exercise of ordinary diligence, he could not have foreseen or over which he had no control and has not proceeded from his extravagent or dissipated habits. A Board employee who applies to be or is adjudged or declared insolvent, shall forthwith report his insolvency to the prescribed authority a similar report is necessary in respect of an application by a Board employee to a Debt Conciliation Board.

UNAUTHORIZED COMMUNICATION OF INFORMATION

17. No Board employee shall, except in accordance with any general or special order of the Board or in the performance in good faith of the duties assigned to him, communicate directly or indirectly, any official documents or any part thereof or information to any Board employee or any other person to whom he is not authorized to communicate such documents or information.

Explanation- Quotation by a Board employee (in his representation to the Head Of Office, or Head of Department or Board) of or from any letter, circular or office memorandum or from the notes on any file, to which he is not authorised to have access, or which he is not authorised to keep in his personal custody or for personal purpose, shall account to unauthorized communication of information within the meant of this regulation.

CANVASSING OF NON-OFFICIAL OR OTHER INFLUENCE

18. No Board employee shall bring or attempt to bring any political or other influence to bear upon superior authority to further his interest in respect of matter pertaining to his service under the Board.

CONNECTION WITH PRESS OR RADIO

19. (1) No Board employee shall, except with the previous sanction of the Board, own wholly or in part, or conduct or participate in the editing or management of, any newspaper or other periodical publication.

(2) No Board employee shall, except with the previous sanction of the Board or of the prescribed authority, or except in the bonafide discharge of his duties-

(a) publish a book himself or through a publisher, or contribute an article to a book or a compilation of article, or

(b) participate in a radio broadcast or contribute an article or write a letter to a newspaper or periodical, either in his own name or anonymously or pseudonymously or in the name of any other person.

Provided that no such sanction shall be required-

(i) if any such publication is through a publisher and is of a purely literary, artistic or scientific character, or

(ii) if such contribution, broadcast or writing is of a purely literary, artistic or scientific character.

CRITICISM OF BOARD / GOVERNMENT

20. No Board employee shall, in any radio broadcast or in any document published in his own name or anonymously, pseudonymously or in the name of any other person or in any communication to the press or in any public utterance, make any statement of fact or opinion –

(i) which has the effect of an adverse criticism of any current or recent policy or action of the Board or the Government, or tantamount to an aspersion or allegation of a defamatory nature, or is likely to tantamount to intimidation in respect of any thing done or proposed to be done by an employee of the Board in the discharge of his duties.

(ii) which is capable of embarrassing the relations between the Board and the Government.

(iii) which is capable of embarrassing the relations between the Government and the Government of any Foreign State.

Provided that noting in this regulation shall apply to any statement made or views expressed by a Board employee in his official capacity or in the due performance of the duties assigned to him.

EVIDENCE BEFORE COMMITTEE OR ANY OTHER AUTHORITY

21. (1) Save as provided in sub-regulation (3), no Board employee shall, except with the previous sanction of the Board, give evidence in connection with any enquiry conducted by any person, committee or authority.

(2) Where any sanction has been accorded under sub-regulation (1), no Board employee giving such evidence shall criticize the policy or any action of the Board or of the Government.

(3) Nothing in this Regulation shall apply to:-

(a) evidence given at any enquiry before an authority appointed by the Board, a State Legislature; or Parliament or

(b) evidence given in any judicial enquiry; or

(c) evidence given at any departmental enquiry ordered by authorities subordinates to the Board

TAKING PART IN POLITICS AND ELECTIONS

22. (1) No Board employee shall be a member of. Or be otherwise associated with, any political party or any organization which takes part in politics nor shall be take part in, subscribe in aid of, or assist in any other manner, any political movement or activity.

(2) it shall be the duty of every Board employee to endeavor to prevent any member of his family from taking part in, subscribing in aid of, or assisting in any other manner any movement or activity which is, or tends directly or indirectly to be, subversive of the Board or of the Govt. as by law established and where a Board employee is unable to prevent a member of his family from taking part in, or subscribing in aid of assisting in any other manner, any such movement or activity, he shall make a report to that effect to the Board.

(3) if any question arises whether a party is a political party or whether any organization takes part in politics or whether any movement or activity falls within the scope of sub-regulation (2), the decision of the Board thereon shall be final.

(4) No Board employee shall canvass or otherwise interfere with, or use his influence in connection with or take part in, an election to any legislature or local authorities,

Provided that

(i) A Board employee qualified to vote at such election may exercise his right to vote, but where he does so, he shall give no indication of the manner in which he proposes to vote or has voted,

(ii) a Board employee shall not be deemed to have contravened the provisions of this sub-regulation by reason only that he assists in the conduct of an election in the due performance of a duty imposed on him by or under any law for the time being in force.

Explanation:- The display by the Board employee on his person, vehicle or residence of any electoral symbol shall amount to using his influence in connection with an election within the meaning of this sub-regulation.

VINDICATION OF ACTS AND CHARACTER OF THE EMPLOYEES OF THE BOARD AS SUCH.

23. (1) No Board employee shall, except with the previous sanction of the Board, have recourse to any court or to the press for the vindication of his official acts.

(2) Nothing, in this regulations shall be deemed to prohibit a Board employee from vindicating his private conduct or any act done by him in his private capacity any where any action for vindicating his private conduct of any act done by him in private capacity is taken, the Board employee shall submit a report to the prescribed authorities regarding such action.

JOINING OF ASSOCIATIONS BY BOARD EMPLOYEES

24. No Board employee shall join, or continue to be a member of, an association the objects or activities of which are prejudicial to the interests of the sovereignty and integrity of India, or Public order or morality.

DEMONSTRATION AND STRIKES

25. No Board employee shall –

(i) engage himself or participate in any demonstration which is prejudicial to the interests of the sovereignty and integrity of India, the security of the State, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or which involves contempt of court, defamation or incitement to an offence, or is likely to disrupt or dislocate any of the operation of or services provided by the Board as a utility essential to the community;

(ii) resort to or in any way abet any form of strike or coercion or physical duress in connection with any matter pertaining to his service or the service or any other Board employee; or

(iii) Restrain or prevent any worker or other Govt./Board employee from going to his place of work or performance of duties assigned to him.

Explanation – 'Strik' means refusal to work or stoppage of slowing down of work by a group of employee acting in combination, and includes –

(a) mass abstention from work without permission (which is wrongly described as "mass casual leave").

(b) Refusal to work overtime where such overtime work is necessary in the public interest;

(c) Resort to practices or conduct which is likely to result in or results in the cessation or substantial retardation of work, such practices would include, what are called 'go-slow', 'sit-down', 'pen down', 'token', 'sympathetic' or any other similar strike as also absence from work for participation in a Bandh or any similar movements.

Board employees who resort to action of the above kind, violate Regulation-25 of these regulations and disciplinary action can be taken against them. It may be noted that the list of activities which are covered under the definition of strike as enumerated above is only illustrative and not exhaustive. It only clarifies the position in respect of practices which are often resorted to at present".

CONSUMPTION OF INTOXICATING DRINKS AND DRUGS

26. A Board employee shall –

(a) strictly abide by any law relating to intoxicating drinks or drugs in force in any area in which he may happen to be for the time being;

(b) not be under the influence of any intoxicating drink or drug during the course of his duty and drug during the course of his duty and shall, also, take due care that the performance of his duties at any time is not affected in any way by the influence of such drink or drug;

(c) refrain from consuming any intoxicating drink or drug in an public place;

(d) not appear in a public place in a state of intoxication;

(e) not use any intoxicating drink or drug to excess.

Explanation:- For the purpose of this regulation 'Public place' means any place or premises (including a conveyance) to which the public have, or are permitted to have, access, whether on payment or otherwise.

BIGAMOUS MARRIAGE

27. (1) No Board employee shall enter into or contract, a marriage with a person having a spouse living; and

(2) No Board employee, having a spouse living, shall enter into or contract, a marriage with any person;

Provided that the Board may permit a Board employee to enter into or contract, any such marriage as is referred to in sub-regulation (1) or sub-regulation (2), if it is satisfied that –

(a) such marriage is permissible under the personal law/custom applicable to such Board employee and the other party to the marriage;

(b) there are other grounds for so doing.

OVER-RIDING EFFECT OF THE CENTRAL/STATE ACTS/RULES

28. Whenever any provision in these Regulations conflict with that in the Factories Act, Industrial Disputes Act, Indian Trade Unions Act, Payment of Wages Act, or in the Indian Trade Unions Act, Payment of Wages Act, or in the Rules thereunder or any other law applicable to the Board, the provision in these Acts an Rules shall prevail in the case of the employee governed by these Acts.

INTERPRETATION

29. If any question arises relating to the interpretation of these regulations, it shall be referred to the Board whose decision thereon shall be final.

DELEGATION OF POWER

30. The Board may, by general or special order and subject to such conditions as it may think fit; authorize any authority subordinate to it to exercise the powers or functions of the Board for all or any of the purposes of these regulations.

REPEAL AND SAVING

31. The Punjab State Electricity Employees Conduct Regulation, 1965 (adopted by the Board *vide* Office Order No. 19/H.S.E.B. dated 10.05.67) are hereby repealed.

Provided that any order made or action taken under the regulations so repealed, shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these regulations;

Provided further that such repeal shall not affect the previous operation of the regulations so repealed and a contravention of any of the said regulations, shall be punishable as if it were a contravention of these regulations.

These amendments are deemed to have come into force with effect from 20.03.1984 i.e. actual date of issuance of office order.

T. C. GUPTA,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Power Department.

Chandigarh:
The 11th May, 2020.

ANNEXURE-I

Declaration from for movable property under Regulation-11 of the Board Employees (Conduct) Regulations, 1984

Name & Designation of the Board Employee _____

Address: _____

Statement made on _____ (Dated)

(a) (i) Cash, Jewllery, bullion, Bank deposits, Insurance Policies, Shares, Securities and Debentures.

(ii) Motor Cars, Motor Cycles, Horses, and/or any other means of conveyance.

(iii) Refrigerators, Vedeos, Radiograms, Televisions, Sterios, Tape recorders etc.

(iv) Milch cattle

Sr. No.	Description of items	Value	Name of the Member of the Board employees family & Benamidar (if any) in whose name the asset is held	Date and manner of fresh acquisition during the year	Remarks
1	2	3	4	5	6

(b) Loans advanced, whether secured or not. If secured, nature of the security i.e. ornaments, simple pronote or mortgage deeds with or without possession.

Sr. No.	Amount of loan	If loan is a secured one, nature of the security with its approximate value	Name of the Member of the Board employee's family who has advanced loan	Name with description of the loanee	Date with other particulars of the loan	Remarks
1	2	3	4	5	6	7

NOTE: the expression "Member of the Board employees family" is to be interpreted according to the definition in regulation 3(3) of 'the Haryana State Elecy. Board Employees (Conduct) Regulations, 1984'.

Signature of the Board employee.

ANNEXURE-II

(Referred to in Regulation-II)

Declaration by ..... Of the Immovable property held by him and Member's of his family made on .....

NOTES:

(1) All interests in land of a permanent nature whether ownership, mortgage or hereditary, occupancy, should be entered; also dwelling houses in towns.

(2) Members of a Board employees family are those mentioned in regulation 3 (3) of the "HSEB Employees (Conduct) Regulations, 1984 and in showing the holding of each, if a holding is Benami, the name of the Benamidar should be indicated separately.

In what district, tehsil and village situated	Description of holding with area and assessment	How and when acquired (e.g. by inheritance, regift, purchase)
1	2	3

Signature and Designation of the
Board employee.

8855—C.S.—H.G.P., Pkl.